बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांकः- 206218 पटना, दिनांकः- 21/10/14

ग्रा०वि०-5/इं०आ०मो०(पृच्छा)-102-45/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- प्रतीक्षा सूची के आरोही क्रम को भंग कर इंदिरा आवास आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि बी.पी.एल. सूची के आधार पर तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से आरोही क्रम में इंदिरा आवास का आवंटन करने का प्रावधान है । परिस्थिति-विशेष (जो अलग से परिभाषित है) को छोड़कर सामान्य रूप में प्रतीक्षा सूची के क्रम को भंग कर इंदिरा आवास का आवंटन गंभीर अनियमितता है । विभाग द्वारा समय-समय पर इसकी गंभीरता की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाते रहे हैं । जिलों के पृच्छा के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-138655 दिनांक-13.02.13 द्वारा प्रतीक्षा सूची के क्रम को भंग करने के परिस्थिति के संबंध में निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये थे :-

(i) जहां ऐसे दृष्टांत आयें जिसमें सुपात्र परिवार को वास हेतु भूमि नहीं हो अथवा परिवार अपने मूल निवास स्थान से पलायन कर गया हो, तो वैसे मामलों में इनके लिए राशि सुरक्षित रखकर प्रतीक्षा नहीं की जाय अपितु स्थायी प्रतीक्षा सूची में अगले क्रम में आने वाले परिवार को लाभान्वित करा दिया जायेगा ।

(ii) यदि वास स्थल हेतु भूमि वाले परिवारों को वास स्थल की भूमि उपलब्ध हो जाती है अथवा निवास स्थान से पलायन किये गये परिवार अपने मूल निवास स्थान को लौट आते हैं तो उन्हें तत्काल प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा । ऐसे परिवारों का प्राथमिकता क्रम अक्षुण रहेगा ।

(iii) इस प्रकार के मामलों के कारण स्थायी प्रतीक्षा सूची के अगले क्रम के परिवार को लाभान्वित करने से पूर्व जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत वरीय प्रभारी पदाधिकारी की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी ।

विभागीय पत्रांक-187102 दिनांक-03.06.14 द्वारा वर्ष 2014-15 में लक्ष्य के अनुरूप इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन के क्रम में सामाजिक अंकेक्षण कराने संबंधी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2013-14 तथा इसके पूर्व के वर्षों में यदि किसी परिवार को प्रतीक्षा सूची में उनका क्रम आने पर भी इंदिरा आवास का आवंटन नहीं किया गया हो तो आवास आवंटन नहीं किये जाने के कारणों को अंकित कर ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त किया जायेगा तथा ग्राम सभा के अभिमत को दर्शाते हुए सूची को ग्रामीण आवास सहायक, उपस्थित वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि तथा जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर लिया जायेगा । इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद विभागीय उक्त पत्र की कंडिका-3 में निर्धारित प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभुकों के चयन सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व पुनः ग्राम सभा में सूची को रखकर उक्तवत पदाधिकारियों के द्वारा पारित किया जाना था ।

चूँकि सामाजिक अंकेक्षण के आधार पर प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए परिवारों की सूची जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगी, अतएव इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास आवंटन हेतु जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत वरीय प्रभारी पदाधिकारी की अलग से पूर्वानुमति अनिवार्य नहीं होगी ।

उपर्युक्त प्रावधानों का मूल उद्देश्य यह था कि सामान्य रूप से किसी भी परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची के क्रम को भंग कर इंदिरा आवास का आवंटन नहीं हो । फिर भी विभाग को ऐसी सूचना मिल रही है कि बिना किसी विशेष कारण के प्रतीक्षा सूची के क्रम को भंग कर इंदिरा आवास का आवंटन किया जा रहा है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में प्रतीक्षा सूची के क्रम को अक्षूण्ण रखते हुए इंदिरा आवास का आवंटन किया जाय । यदि प्रतीक्षा सूची के क्रम को भंग कर इंदिरा आवास आवंटन किये जाने का मामला प्रमाणित होता है तो इसे सख्ती से लिया जायेगा तथा संबंधित ग्रामीण आवास सहायक/ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को चिन्हित कर इस गंभीर अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव 21/10/14

ज्ञापांक 206218 पटना, दिनांक 21/10/14

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में अपने स्तर से भी अनुश्रवण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 21/10/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1109.doc